बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो0ब02/1–17/2018–06 आवंटन/यो0वि0,पटना,दिनांक 18 जनवरी, 2019

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

उप निदेशक–सह–
आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 में वेतनादि एवं शेष अन्य मदों में विपत्र कोड–35–2052000900010 के अधीन स्थापना व्यय वहन हेतु कुल 1,07,00,000/–(एक करोड़ सात लाख) रूपये अतिरिक्त राशि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–354 दिनांक 28.03.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम 2018 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक 28.03.2018 को स्वीकृति की सूचना के अनुसार पहली अप्रैल से 31.03.2019 तक बजट से प्रावधानित राशि व्यय करने की स्वीकृति दी गयी है।

2. तदनुसार उपर्युक्त के आलोक में मुख्य शीर्ष 2052–सचिवालय सामान्य सेवायें, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–090–सचिवालय, मांग संख्या–35, उप शीर्ष–0010–योजना एवं विकास विभाग, विपत्र कोड **35**–2052000900010 के अधीन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपर्युक्त शीर्ष/उपशीर्ष के अंतर्गत वेतनादि मद एवं शेष अन्य मदों में व्यय करने हेतु निम्न राशि आवंटित की जाती है :–

क्र0	विषय शीर्ष	आवंटित राशि
1	0101–वेतन	70,00,000/–
2	0103–जीवन यापन भत्ता	9,00,000/–
3	0104–मकान किराया भत्ता	16,00,000/–
4	0105–परिवहन भत्ता	4,00,000/–
5	0106–चिकित्सा भत्ता	1,00,000/–
6	1301–कार्यालय व्यय	7,00,000/–
	कुल	**1,07,00,000/–**

(एक करोड़ सात लाख) रूपये मात्र।

3. योजना एवं विकास विभाग (मुख्यालय) एवं विकास आयुक्त के शीर्ष/उपशीर्ष के मदवार राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विभागीय आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी योजना एवं विकास विभाग होंगे।

4. आवंटन में मुख्य शीर्ष से लेकर व्यय के विषय शीर्ष तक कोड नं0 अंकित कर दिया गया है, अतएव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जो भी विपत्र कोषागार में प्रस्तुत करते हैं उस पर कोड नं0 अनिवार्य रुप से अंकित करेंगे।

5. प्रत्येक परिस्थिति में मदवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखा जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. आवंटित की जा रही राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131(ग) एवं अन्य अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

7. कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि को बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के आलोक में नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

8. 28–02 संविदा सेवाए मद में आवंटित राशि से संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को सेवा अवधि विस्तार प्राप्त करने के पश्चात ही नियमानुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक बजट शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित जाय ताकि उसका नियमित संधारण संभव हो सके अन्यथा आपका अगला आवंटन रोक दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0ब02/1–17/2018–06आवंटन/यो0वि0,पटना,दिनांक 18 जनवरी, 2019
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0ब02/1–17/2018–06आवंटन/यो0वि0,पटना,दिनांक 18 जनवरी, 2019
प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।

सरकार के अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।